छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 दूरभाष क्र.–0771–4073568 फैक्स: 4073553
वेब साईट www.cserc.gov.in ई–मेल : cserc.sec.cg@nic.in

टैरिफ याचिकाओं पर जन–सुनवाई हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 86(1)(a) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अन्तर्गत राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियाँ छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL), छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL) एवं छ. ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्या. (CSPGCL), द्वारा ट्रू–अप एवं टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 32(3) के अन्तर्गत छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा ट्रू–अप एवं प्रभार के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण
1.	05/2024	CSPTCL	वर्ष 2022-23 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2024-25 हेतु ट्रान्समिशन टैरिफ निर्धारण
2.	06/2024	CSLDC	वर्ष 2022-23 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2024-25 हेतु SLDC प्रभार का निर्धारण
3.	09/2024	CSPDCL	वर्ष 2022-23 का ट्रू–अप, वर्ष 2024-25 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन,एवं वर्ष 2024-25 हेतु खुदरा (रिटेल) टैरिफ निर्धारण
4.	10/2024	CSPGCL	वर्ष 2022-23 का ट्रू–अप

2. ये याचिकाएं आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु उपरोक्त याचिकाओं के सार को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। आयोग द्वारा इन याचिकाओं पर आयोग के कोर्ट रूम में नीचे विनिर्दिष्ट तिथियों एवं समय पर जन–सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है:–

दिनांक	सुनवाई का समय	उपभोक्ता श्रेणी
11/03/2024 (सोमवार)	दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक	घरेलू
	दोपहर 4:00 बजे से सांय: 5:30 बजे तक	गैर–घरेलू
12/03/2024 (मंगलवार)	दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन एवं अन्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक	निम्नदाब उद्योग
	दोपहर 4:00 बजे से सांय: 5:30 बजे तक	समस्त उच्चदाब

3. इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्तियां/सुझाव उक्त समय–सारिणी के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण देना चाहता है तो आयोग के सचिव को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रहित एवं स्वहित में उर्जा बचाऐं

सचिव

SIZE 18X8

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR PUBLIC HEARING ON TARIFF PETITION

The State-owned power companies i.e. Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. (CSPTCL), Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd. (CSPDCL) & Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd. (CSPGCL) have submitted petitions for determination of tariff & true-up under Section 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003 (the Act) and Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to read Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021. Also, Chhattisgarh State Load Despatch Center (SLDC) has submitted petition under Section 32(3) of the Act for determination of fee charges for FY 2024-25 and true-up of FY 2022-23. The details of aforesaid petitions are as given in table below:

S. No.	Petition No.	Petitioner	In the matter of
1.	05 of 2024	CSPTCL	True up for FY 2022-23 and transmission tariff for FY 2024-25
2.	06 of 2024	CSLDC	True up for FY 2022-23 and SLDC charges for FY 2024-25
3.	09 of 2024	CSPDCL	True up for FY 2022-23, Determination of ARR for FY 2024-25 and retail tariff for FY 2024-25
4.	10 of 2024	CSPGCL	True up for FY 2022-23

2. These petitions are available on the Commission's website i.e www.cserc.gov.in. Petitioners have published public notice in newspapers for inviting objections/suggestions on the above petitions. The Commission has decided to hold a public hearing on these petitions in the Commission's court room at Raipur on the dates and times specified below:

Date	Time of hearing	Consumer category
11/03/2024 (Monday)	12:00 PM to 1:30 PM	Agriculture & Agriculture allied activities
	2:30 PM to 4:00 PM	Domestic
	4:00 PM to 5:30 PM	Non-Domestic
12/03/2024 (Tuesday)	12:00 PM to 1:30 PM	Local bodies, Municipal Corporation and Trade Union and others
	2:30 PM to 4:00 PM	L.V. Industry
	4:00 PM to 5:30 PM	All HV

3. Interested parties may appear before the Commission as per above schedule to present objections/suggestions. Any person who wishes to make presentations during the hearing must give advance notice to the Commission's Secretary.

//Save Electricity// **SECRETARY**

SIZE 16X8